28|4|25 नियत का गई

28.04.25 आज यह पत्रावली पेश हुई। कोई भी उप० नहीं। मूल दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो तथा प्रा० पत्र 212 मूल दावा के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)